न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/51/2019	02–12–2019	18–12–2019

1– शैलेन्द्र मेहरा पुत्र रोशनलाल मेहरा जाति बैरवा निवासी मकान नं0 191/201, सैक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर राज0।

2– रामजीलाल पुत्र पूरण, जाति कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– रामरतन पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी खजूरिया पोस्ट घास तहसील टोंक जिला टोक राज0।

–असल अप्रार्थी

2– ग्यारसा पुत्र पूरण कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

3– किशन पुत्र रूगनाथ जाति कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

4– कन्हैया पुत्र रूगनाथ जाति कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

5– रामू पुत्र रूगनाथ जाति कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

6– रामजीलाल पुत्र रघुनाथ जाति कोली निवासी टहला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री उदय सिंह –वकील प्रार्थी

:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी रामरतन बनाम शैलेन्द्र वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने दावे के साथ प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दि0 01.11.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण/प्रार्थीगण को पाबंद किया गया। हम प्रार्थी ने प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट का जवाब पेश कर दिया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक बहस नहीं सुनी गई है, ना ही प्रा0पत्र का निस्तारण किया गया है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीक की तारीख पेशीयां लगाई जा रही है। प्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 01 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार आते–जाते देखा है तथा पीठासीन अधिकारी के घर भी आते–जाते देखा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी सं0 2 से कहा गया कि मैंने पीठासीन अधिकारी से रसुख मिला लिया है। स्टे ताफैसला करा कर छोडूंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.11.2019 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

सरेइजलास कहा गया कि मैं प्रा0पत्र 212 स्वीकार करूंगा और यह भी कहा गया कि तुमने रामरतन बैरवा को तंग व परेशान कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बउनवान रामरतन बनाम शैलेन्द्र वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ से किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्षकारान् के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण में न्याय प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है तथा वकुलाय की उपस्थिति में उनकी सहमति के अनुसार ही तारीख पेशीयां नियत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार, असत्य एवं मनगढंत है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवान रामरतन बनाम शैलेन्द्र वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में विचाराधीन प्रकरण उनवान रामरतन बनाम शैलेन्द्र वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर